



**भारतीय खेल प्राधिकरण
नराकास सचिवालय
दक्षिण दिल्ली - 2**

फा.सं : भाखेप्रा/नराकास/3093/2026-27/767

दिनांक : 14.08.2026

सेवा में,

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग,
जल संसाधन नदी विकास और
गंगा संरक्षण मंत्रालय
द्वितीय तल, सेवा भवन,
आर.के.पुरम, नई दिल्ली-66

विषय : 01 अक्टूबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की छमाही रिपोर्ट - समीक्षा।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय से प्राप्त छमाही प्रगति रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दक्षिण दिल्ली - 2 का अध्यक्ष कार्यालय होने के नाते आपके कार्यालय से प्राप्त उपरोक्त अवधि की रिपोर्ट की समीक्षा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है :

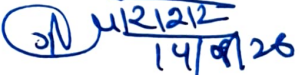
1. **रिपोर्ट की मद संख्या 2** के अनुसार सचिव समकक्ष 25 बैठके आयोजित की गई हैं और आपके द्वारा सभी 25 बैठकों के कार्यवृत्त हिंदी में निर्गत किए गए हैं जो सराहनीय है। सचिव के समकक्ष निर्गत प्रलेखों की कुल संख्या 08 दर्शायी गई है जिसमें से कुल 04 प्रलेख ही हिंदी में निर्गत किए गए। यह धारा 3(3) का उल्लंघन है जोकि आपत्तिजनक है। भविष्य में इसको सुधारें और सभी प्रलेख द्विभाषी रूप से निर्गत करना सुनिश्चित करें।
2. **रिपोर्ट की मद संख्या 3** के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आपके कार्यालय से सभी 566 प्रलेखों द्विभाषीय रूप में निर्गत किए गए जो कि प्रशंसनीय है। कृपया भविष्य में भी राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करें।
3. **रिपोर्ट की मद संख्या 4** के अनुसार कार्यालय में प्राप्त हुए 10800 हिन्दी पत्रों में से 5435 पत्रों का उत्तर हिन्दी/द्विभाषी में दिया गया है। 5365 पत्रों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं था। अतः कार्यालय में राजभाषा नियम-5 का पूर्ण अनुपालन सराहनीय है। अनुरोध है कि उत्तर नहीं दिए जाने वाले अपेक्षित पत्रों की पावती भेजने का प्रयास करें।
4. **रिपोर्ट की मद संख्या 5** के अनुसार 'क' एवं 'ख' क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त हुए क्रमशः 15443 एवं 3222 कुल पत्रों में से 9960 और 2500 पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया है जबकि 698 एवं 249 पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया है। 4785 एवं 473 पत्रों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं था। चूंकि आपका कार्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित होने के कारण मूल पत्राचार शत प्रतिशत होना अनिवार्य है। आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

5. **रिपोर्ट की मद संख्या 6** के अनुसार आपके कार्यालय से 'क' क्षेत्र के साथ 93.07% पत्र व्यवहार हिन्दी में किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 'ख' क्षेत्र के साथ आपके कार्यालय द्वारा 92.62% तथा 'ग' क्षेत्र के साथ 89.83% पत्र व्यवहार राजभाषा हिन्दी में किया गया है। चूंकि आपका कार्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित है इसीलिए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की अनुपालना में मूल पत्राचार शत प्रतिशत हिन्दी में होना अनिवार्य है। आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
6. **रिपोर्ट की मद संख्या 7** के अनुसार आपके कार्यालय से कुल 12744.5 टिप्पणियों में से 11317 टिप्पणियाँ हिन्दी में तथा 1427.5 टिप्पणियाँ अंग्रेजी में लिखी गई है। इसे और बढ़ाने का प्रयास करें। जो राजभाषा प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत वार्षिक कार्यक्रम के 80 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है जो कि सराहनीय है। आपसे अपेक्षा है कि भविष्य में इसमें बढ़ोतरी कर शत प्रतिशत करना सुनिश्चित करेंगे।
7. आपके कार्यालय द्वारा इस अवधि के दौरान 02 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई है। कार्यशालाओं में प्रशिक्षित 76 कार्मिकों को हिन्दी राजभाषा प्रयोग में अभ्यस्त रखने के उद्देश्य से उनसे हिन्दी पत्राचार का कार्य भी लिया जाए।
8. आपके कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है। बैठक में लिए गए निर्णयों के संदर्भ में निर्गत किए गए कार्यवृत्त की प्रति भी इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें।

अनुरोध है कि कार्यालयों में राजभाषा नीति कार्यान्वयन की दृष्टि से की गई समीक्षा के संदर्भ में आपके कार्यालय स्तर पर की गई सकारात्मक कार्रवाई से इस कार्यालय को भी अवगत करवाएं।

इसे सक्षम प्राधिकारी, भारतीय खेल प्राधिकरण के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

सादर,

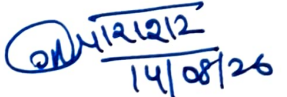

14/08/26

(डॉ. गीता पाराशर)
निदेशक/प्रभारी (राजभाषा)
दिनांक : 14.08.2026

फा.सं : भाखेप्रा/नराकास/3093/2026-27

प्रतिलिपि :

1. महानिदेशक, भाखेप्रा का कार्यालय
2. सचिव, भाखेप्रा का कार्यालय
3. कार्यकारी निदेशक (राजभाषा)
4. सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, त्रिकुट - II, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066
5. मास्टर फाइल


14/08/26

(डॉ. गीता पाराशर)
निदेशक/प्रभारी (राजभाषा)